न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 40/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जीयां देवी पत्नी माडू राम पुत्री लक्ष्मण राम जाति मेघवाल निवासी श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. मेजर सिंह पुत्र चगड सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. मलकीत कौर पत्नी मेजर सिंह पुत्र चगड सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. कुलदीप सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र चगड सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 1/3. गुरमीत कौर पुत्री मेजर सिंह पुत्र चगड सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 1/4. राजविन्द्र कौर पुत्री मेजर सिंह पुत्र चगड सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 1/5. शमशेर सिंह पुत्र मेजर सिंह पुत्र चगड सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 43 एफ बडिंगा तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 3. मांगीलाल पुत्र जीवन राम जाति मेघवाल निवासी बनवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 17.04.2023

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र रमाणा अधिवक्ता प्रार्थिया

2. श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5

--निर्णय-- **दिनांकः 22.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 एफ एफ के मु0नं0 1, 3, 13, 39, 36, 49 की कुल 28 बीघा 5 बिस्वा भूमि रिफ्यूजी क्लेम के अन्तर्गत फार्म भरवाये जाकर अलॉट की गई थी तथा इसी अलॉटमेन्ट की रूह से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत 2027 से 2036 की जमाबन्दी तैयार की जाकर उपरोक्त भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थीया के पिता लक्ष्मण राम को सौंप दिया गया और तब से लेकर आज तक उपरोक्त भूमि पर पहले लक्ष्मण राम का कब्जा काश्त व उसके उपरान्त लक्ष्मण राम के वारिसान यानि प्रार्थीया व उसके भाईयों का कब्जा लगातार चलता रहा तथा वर्तमान में पिछले कई वर्षों से प्रार्थीया व उसके भाई, भतीजे उक्त भूमि को जीत सिंह पुत्र दमन सिंह को हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवा रहे है तथा वर्ष 2009-2010 से मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 पर जीत सिंह का कब्जा बतौर ठेकेदार चला आ रहा है। जीत सिंह के कब्जा बाबत् सिंचाई मांग पत्र संलग्न दावा है। लक्ष्मण राम पुत्र राजूराम के नाम रिफ्यूजी क्लेम में प्राप्त उक्त भूमि मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि तथा मु0नं0 1, 13, 36 व 49 की भूमि लक्ष्मण राम पुत्र राजूराम के कब्जा काश्त में लगातार चली तथा उसके उपरान्त उसके वारिसान व वर्ष 2009-2010 से उपरोक्त भूमि पर जीत सिंह का कब्जा बतौर ठेकेदार चला आ रहा है और वास्तविक कब्जा आज भी प्रार्थीया एंव उसके भाई, भतीयों का है। राजस्व रिकॉर्ड की टंकनिय गलती की वजह से सम्बत् 2076 से 2079 की जमाबन्दी में मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि जो लक्ष्मण राम को बतौर रिफ्यूजी क्लेम में प्राप्त हुई थी का इन्द्राज प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज हो गया। जबकि रिफ्यूजी क्लेम की भूमि ना, तो किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है और ना ही उसका अलॉटमेन्ट

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

निरस्त हो सकता है, इन तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि लक्ष्मण राम के नाम चक 3 एफ एफ के मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में टंकनीय गलती के वजह से प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज हुई है, जिसे प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर पुनः लक्ष्मण राम पुत्र राजूराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया व उसका परिवार गांव के अनपढ़, भोले-भाले व्यक्ति है, जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, इस कारण पूर्व में प्रार्थीया व उसके परिवार को उपरोक्त टंकनिय त्रुटि का ज्ञान नहीं हो सका। अब प्रार्थीया द्वारा पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थीया को उपरोक्त टंकनिय त्रुटि का ज्ञान हुआ, इसलिये प्रार्थीया बिना देरी से उपरोक्त टंकनिय त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए दावा ला पाने की अधिकारी है। वर्ष 1985 में भी लक्ष्मण राम को रिफ्यूजी क्लेम में प्राप्त उपरोक्त भूमि पर स्वर्ण जाति के काश्तकारों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया गया था, जिस पर लक्ष्मण राम के वारिसान न्यायालय तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.ए. का दावा पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा लक्ष्मण राम के वारिसान का दावा दिनांक 03.06.1986 को डिक्री करते हुए स्वर्ण जाति के काश्तकारों को बेदखल कर कब्जा लक्ष्मण राम के वारिसान को दिये जाने के आदेश पारित किये गये और कब्जा लक्ष्मण राम के वारिसान को सुपुर्द किया गया। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थीया अप्रार्थीगण से मिली और उन्हें राजस्व रिकॉर्ड की उपरोक्त टंकनिय त्रुटि के बारे में बताया और यह भी कहा कि उपरोक्त भूमि प्रार्थीया के पिता लक्ष्मण राम को रिफ्यूजी क्लेम में आंवटन की गई है और टंकनिय त्रुटि की वजह से हरिजन जाति के व्यक्ति को रिफ्यूजी क्लेम में प्राप्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन प्रतिवादी सख्या 1 जो स्वर्ण जाति का व्यक्ति है के पक्ष में हो गया है को दुरूस्त करवाने बाबत् प्रार्थीया का सहयोग करे, तो प्रतिवादी सख्या 1 ने कहा कि जमाबन्दी में उपरोक्त भूमि आज भी उसके नाम है, वह मौका लगते ही उपरोक्त भूमि को आगे बेचान कर देगा तथा कब्जा आप से छिनकर कब्जा आगे मुन्तकिल कर देगा, तो इस पर प्रार्थीया द्वारा पटवारी हल्का से निवेदन किया गया कि लक्ष्मण राम को रिफ्यूजी क्लेम में अलॉट चक 3 एफ एफ के मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि का टंकनिय त्रुटि की वजह से प्रतिवादी सख्या 1 के पक्ष में हुये इन्द्राज को दुरूस्त कर देवें, तो पटवारी हल्का ने कहा कि पहले न्यायालय से आदेश लेकर आओ, तो ही उक्त टंकनिय त्रुटि की दुरूस्ती की जा सकेगी। प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा एंव घोषणा तथा दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र ला पाने की अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थिया के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी सख्या 1, प्रार्थिया के पिता लक्ष्मण राम को रिफ्यूजी क्लेम में प्राप्त तहसील श्रीकरनपुर के चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्बत् 2076 ता 2079 की के खाता सख्या 72/72 के मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 भूमि, जो टंकनिय त्रुटि की वजह से अप्राथी सख्या 1 के नाम दर्ज हुई है को रहन, बैय, मुन्तकिल करने तथा प्रार्थीया व उसके परिवार के कब्जा में दखल अंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रकरण में मृतक दर्ज किया जाकर उसके वारिसान को बतौर अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 के रूप में संयोजित किया गया। संशोधित शीर्षक सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। जवाब प्रार्थना के अनुसार यह कहना गलत है कि जीया के पिता लक्ष्मण राम पुत्र राजू राम जाति मेघवाल निवासी 3 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर के चक 3 एफ ए के मु0नं0 1, 3, 13, 39, 36, 49 के कुल 28 बीघा 5 बिस्वा भूमि 18 रिफ्यूजी क्लेम के अन्तर्गत फर्म भरवाये जाकर अलॉट की गई है। यह कहना गलत है कि इसी अलॉटमेन्ट से भू-विभाग द्वारा इस सम्वत् 2027 से 2036 जमाबन्दी तैयार की जाकर उपरोक्त भूमि का कब्जा लक्ष्मण राम को सोंप दिया गया है यह कहना गलत कि तब से लेकर आज तक उपरोक्त भूमि पर पहले लक्ष्मण राम का कब्जा काश्त व उसके उपरान्त लक्ष्मण राम के वारिसान यानि वादिया व उसके भाईयो का कब्जा लगातार चलता रहा हो। यह कहना गलत कि वर्तमान मे पिछले कई वर्षो से प्रार्थीया व उसके भाई भतीजे उपरोक्त भूमि को जीत सिंह पुत्र दमन सिंह को हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवा रहे है तथा वर्ष 2009 -2010 से मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 पर जीत सिंह का कब्जा बतौर ठेकेदार चला आ रहा है बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से है चक 3 एफ एफ के मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि मेजर सिंह पुत्र नगद सिंह इन्हें माननीय उपजिलाधीश श्रीकणपुर द्वारा 1976 में पाखर सिंह पुत्र निका सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ एफ को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अन्तर्गत अवाप्त की गई उसमें से मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 भूमि मेजर सिह पुत्र चगड़ सिंह को अलॉट की गई थी जिसकी फोटो प्रति जवाब दावा है। आदेश दिनांक 26.06.1976 के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मेजर सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल अमल दरामद किया गया है आदेश व इंतकाल तथा उक्त भूमि पर अलॉटमेन्ट तारीख से लेकर मेजर सिंह के जीवित रहते मेजर सिंह का कब्जा और मेजर सिंह की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर मेजर सिंह के वारिसान का कब्जा लगातार चला आ रहा है। मेजर सिंह के वारिसान द्वारा उक्त भूमि जीत सिंह पुत्र दमन सिंह जाति बावरी को ठेका पर काश्त करने हेतु दी थी लेकिन जीत सिंह के मन में लालच पैदा हो गया और उक्त आराजी पर कब्जा करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कहना कतई गलत है लक्ष्मण राम पुत्र राजू राम के नाम रिफ्यूजी क्लेम में प्राप्त उक्त भूमि मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि तथा मु0नं0 1, 13, 36 व 49 की भूमि लक्ष्मण राम पुत्र राजू राम के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही हो। यह कहना कतई गलत है कि उसके उपरान्त उसके वारिसान व वर्ष 2009-10 से उपरोक्त भूमि पर जीत सिंह का कब्जा बतौर ठेकेदार चला आ रहा है। यह कहना गलत है कि वास्तविक कब्जा आज भी प्रार्थीया एव उसके भाई भतीजो का हो। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजी पर कभी लक्ष्मण राम का कब्जा नही रहा है और ना ही उनके भाई-भतीजो का रहा है बल्कि उक्त आराजी पर आज भी अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है और पानी की पर्ची भी मेजर सिंह के नाम से चली आ रही है। यह कहना गलत है कि राजस्व रिकॉर्ड की टंकनीय गलती की वजह से सम्वत् 2076 से 2079 की जबान्दी में मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि जो लक्ष्मण राम को बतौर रिफ्यूजी क्लेम से प्राप्त हुई थी का इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया है। यह कहना गलत है कि रिफ्यूजी क्लेम की भूमि ना तो किसी को अन्य को दी जा सकती हो यह कहना भी गलत है कि ना ही अलॉटमेन्ट निरस्त हो सकता है। यह कहना गलत है चक 3 एफ एफ के मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में टंकनीय गलती के वजह से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई हो। जिसे दुरूस्त करवाकर पुनः लक्ष्मण राम पुत्र राजू राम जाति मेघवाल के नाम दर्ज करवाना चाहती हो बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से है कि मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि अप्रार्थीगण के पिता मेजर सिंह को अलॉट हुई थी न कि लक्ष्मण राम को अलाट हुई हो। यह कहना गलत है कि प्रार्थीया व उसका परिवार गांव के अनपढ़, भोले-भाले व्यक्ति है जिन्हे कानून का ज्ञान नही हो यह कहना गलत है अब वादिया द्वारा पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थीया को उपरोक्त टकनीय त्रूटि का ज्ञान हुआ हो इसलिये प्रार्थीया बिना देरी से उक्त टंकनीय त्रूटि को दुरूस्त कर पाने के लिये दावा लॉ पाने का अधिकारी हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी मेजर सिंह की दिनांक 27.09.1980 को देहान्त हो चुका है और मृतक व्यक्ति को कैसे मिला जा सकता है प्रार्थीया द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त कथन के अनुसार अप्रार्थी मेजर सिंह की दिनांक 27.09.1980 को मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थीया को इस तथ्य का भलि-भाति ज्ञान था तमाम तथ्य वादिया द्वारा छुपाते हुए मृतक मेजर सिंह के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि टंकनीय त्रूटि के कारण उपरोक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई थी जबकि माननीय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा दिनांक 26.08.1976 को अप्रार्थीगण के नाम उपरोक्त आराजी अलॉटमैन्ट के आदेश दिए व उक्त आदेश के तहत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की गई है। उक्त आराजी माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.1976 को अप्रार्थीगण के पिता/पति के नाम दर्ज हुई प्रार्थीया द्वारा आदेश दिनांक 26.08.1976 को चुनौती नही दी गई है और प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण काबिले खारिजी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध मय खर्चा खाजिर फरमाया जावें। प्रार्थी नरसीराम के द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री मनजीत कचूरा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रार्थी मांगीलाल की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थी मांगीलाल को प्रकरण में बतौर अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में संयोजित किया गया। लाल स्याही से अंकन किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

1.प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए,
क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ
प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद प्रश्न आराजी
में वादिया को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख
किया कि प्रार्थिया के पिता लक्ष्मण राम को रिफ्यूजी क्लेम में चक 3 एफ एफ के मु0नं0 1, 3, 13, 39,
36, 49 की कुल 28 बीघा 5 बिस्वा भूमि रिफ्यूजी क्लेम के अन्तर्गत अलॉट हुई थी तथा इसी
अलॉटमेन्ट की रूह से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत 2027 से 2036 की जमाबन्दी तैयार की जाकर
उक्त भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थिया के पिता लक्ष्मण राम को सौंप दिया गया। तब से लेकर आज तक
उक्त भूमि पर पहले लक्ष्मण राम का कब्जा काश्त व उसके उपरान्त लक्ष्मण राम के वारिसान यानि
प्रार्थीया व उसके भाईयों का कब्जा लगातार चलता रहा तथा वर्तमान में पिछले कई वर्षों से प्रार्थीया व
उसके भाई, भतीजे उक्त भूमि को जीत सिंह पुत्र दमन सिंह को हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवा रहे
है। राजस्व रिकॉर्ड की टंकनीय गलती की वजह से सम्बत् 2076 से 2079 की जमाबन्दी में मु0नं0 39
के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि जो लक्ष्मण राम को बतौर रिफ्यूजी क्लेम में
प्राप्त हुई थी का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया। जबकि रिफ्यूजी क्लेम की भूमि ना, तो
किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है और ना ही उसका अलॉटमेन्ट निरस्त हो सकता है, इन तथ्यों
से यह बात स्पष्ट है कि लक्ष्मण राम के नाम चक 3 एफ एफ के मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9,
10, 12, 13, 18, 23 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में टंकनीय गलती के वजह से प्रतिवादी संख्या 1 के
नाम दर्ज हुई है, जिसे प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर पुनः लक्ष्मण राम पुत्र राजूराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज
करवाना चाहती है। इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थिया व उसके परिवार के कब्जा में दखल अंदाजी करने से बाज
व ममनू रहे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 द्वारा कथन किये गये कि चक 3 एफ एफ
के मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 की भूमि मेजर सिंह पुत्र चगड़ सिंह को
माननीय उपजिलाधीश श्रीकरणपुर द्वारा 1976 में पाखर सिंह पुत्र निका सिंह जाति जटसिख निवासी 5
एफ एफ को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण के अन्तर्गत अवाप्त की गई उसमें से
मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 भूमि मेजर सिह पुत्र चगड़ सिंह को अलॉट
की गई थी। आदेश दिनांक 26.06.1976 क अनुसार पटवारी हलका द्वारा मेजर सिंह के नाम राजस्व
रिकॉर्ड में इंतकाल अमल दरामद किया गया है आदेश व इंतकाल तथा उक्त भूमि पर अलॉटमेन्ट तारिख
से लेकर मेजर सिंह के जीवित रहते मेजर सिंह का कब्जा और मेजर सिंह की मृत्यु के बाद उक्त
आराजी पर मेजर सिंह के वारिसान का कब्जा लगातार चला आ रहा है। मेजर सिंह के वारिसान द्वार
उक्त भूमि जीत सिंह पुत्र दमन सिंह जाति बावरी को ठेका पर काश्त करने हेतु दी थी लेकिन जीत सिंह
के मन में लालच प्रेछा हो गया और उक्त आराजी पर कब्जा करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार
पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

इस प्रकार उपुर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के
अनुसार माननीय उपजिलाधीश श्रीकरणपुर द्वारा 1976 में पाखर सिंह पुत्र निका सिंह जाति जटसिख
निवासी 5 एफ एफ को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम के अन्तर्गत
अवाप्त की गई, भूमि मे से मु0नं0 39 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 12, 13, 18, 23 भूमि मेजर सिह
पुत्र चगड़ सिंह को अस्थाई रूप से आवंटन की गई है। इसी आवंटन आदेश क्रमांक 322 दिनांक 17.
05.1976 के तहत पटवारी हल्का के द्वारा नामातकरण की प्रक्रिया अपनाकर इन्तकाल दर्ज किया गया
है। जो कि एक टंकनीय त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थिया प्रथम दृष्टया मामला को अपने पक्ष में साबित करने
में पूर्णतया असफल रही है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण
घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी वादी को
अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रार्थिया प्रथम दृष्टया मामला को सिद्ध
करने में असफल रही है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 के पति/पिता के नाम से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

राजस्व रिकॉर्ड है। लिहाजा प्रार्थिया सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया असफल रहा है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है। चूकिं वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 के पति/पिता मेजर सिंह पुत्र चगड सिंह नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसलिए प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होना कारित नहीं होता है। अतः अपूरणीय क्षति के बिन्दू को भी प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थिया को अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/ खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)